

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत - उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

चैनाराम पुत्र उम्मेदराम सीखी
निवासी कागोका बाग, रामासनी वाला

दोलाराम पुत्र उम्मेदराम सीखी
निवासी कागोका बाग, रामासनी वाला

किस्म मुकदमा:- राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92A, 108 आर.टी.एक्ट.1955 मु0न0 168/23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुआ।
02/11/23	<p>अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।</p> <p>अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92A, 108 आर.टी.एक्ट.1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 06/12/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी, सोजत</p>	
06/11/23	<p>पत्रावली उप.</p> <p>प्रतिवादीगण को जारी समन/नोटिस तामिलि रिपोर्ट इंटर आर बिडर पत्रावली कागोका दिनांक 05/02/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">SDO Sojat</p>	
5/12/24	<p>अधिवक्ता वादी उप.</p> <p>उपरोक्त में अधिवक्ता वादी प्रथम वादी राफ अर्जत पर उकट कट निवेदन किया है जो पक्षधारी के प्रथम अपील पर प्रमाणित है।</p> <p>वादी उकट कट की अपील पर नही चार्ज है सिधदा वादी का वाद जरिये विज्ञापन जारी किया जाय वे पत्रावली के माध्यम से उपरोक्त हुकम नोट के कर्तवी</p> <p style="text-align: right;">SDO Sojat</p>	